

विचार बिन्दु

कृत्रिम सुख की बजाये, हमेशा ठोस उपलब्धियों के पीछे समर्पित रहिये। –अब्दुल कलाम

देश की सभी राजनीतिक पार्टियों ने संविधान की अवज्ञा की है

भारतीय संविधान दिनांक 26 जनवरी, 195० से पूर्ण रूप से लागू किया गया। भारतीय संविधान को दुनियां के देशों के संविधानों से प्रेरणा व ज्ञान लेकर बनाया गया है; किन्तु उसकी आत्मा पूर्णतः भारतीय संस्कृति व दर्शन की है। भारतीय संविधान को, यदि आप समझना अथवा जानना चाहते हैं उसके प्रियम्बल (उद्देशिका) का विवेक के साथ अध्ययन करें। भारत के संविधान में नागरिकों को मूल अधिकार दिये हैं, जिन्हें राजनीतिक अधिकार कहा जाता है। नागरिकों को समानता का अधिकार दिया है, जो जाति, धर्म, सेक्स भेद, रंगभेद से मुक्त होगा। गरिमा से जीने का अधिकार दिया है। सभी व्यक्तियों को अन्तःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने तथा प्रचार करने का समान अधिकार दिया है। धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रूचि की शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार दिया गया। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम में अल्पसंख्यक की परिभाषा यह कहकर की गई है कि अल्पसंख्यक वे कहे जावेंगे जिन्हें केन्द्र सरकार विज्ञप्ति जारी कर मानेगी। यह परिभाषा विवेक शून्य तो है कि किन्तु संविधान की अवज्ञा का प्रतीक है। समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासपना की स्वतंत्रता प्रलित्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिये तथा राष्ट्र की एकता और अखण्डता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने लिये संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया है। भारत के लोगों ने भारत को सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न गणतंत्र बनाने का संकल्प लेकर भारत को संविधान अर्पित किया था। संविधान में 1976 में संशोधन कर उद्देशिका में ‘प्रभुत्व सम्पन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य’ के स्थान पर ‘सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य’ को प्रतिस्थापित किया था। यह नीति निदेशक तत्वों की अवज्ञा का परिणाम था। अनुच्छेद 6 से 1० में यह स्पष्ट किया है कि भारत का नागरिक कौन है, और उसे कैसे ग्रहण किया जा सकता है। संविधान में मूल अधिकारों का प्रयोग केवल नागरिक ही कर सकता है और केवल नागरिक ही मतदान कर सकता है। संविधान के तहत रिट याचिका दायर कर ही अपने मूल अधिकार व संवैधानिक अधिकार का संरक्षण प्राप्त कर सकता है। इस निर्देश को न मानना संविधान की अवज्ञा है।

संविधान के अनुच्छेद 45 में जो राज्य की नीति के निदेशक तत्व हैं और जैसा यह अनुच्छेद 195० के संविधान में स्थापित किया गया था उसके अनुसार राज्य को संविधान लागू होने के 1० वर्ष की अवधि में 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करना था। यह प्रावधान खराप चेष्टर 3 में है; किन्तु यह अनुच्छेद 37 का अपवाद है। यह प्रावधान नैर्दम मज रू का है जो समय की सीमा में पूरा होता है, जैसे सूर्य का अस्त होना निश्चित है। सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के तहत शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार माना है। टोएमए पाई फाउण्डेशन के केस में सुप्रीम कोर्ट की वृहद पीठ ने स्पष्ट किया है कि राज्य की आर्थिक स्थिति के अनुरूप शिक्षा का मूल अधिकार उच्च शिक्षा तक भी प्राप्त है, न्हाे वह मेडिकल की हो अथवा इंजीनियरिंग। आजादी के बाद आज हम विश्व की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनने की ओर बढ़ चुके है।

संविधान में समय–2 पर संशोधन होते रहे हैं। शिक्षा के संबंध में अनुच्छेद 21 व अनुच्छेद 45 का उपयोग होता रहा है। यह स्थिति दिनांक 1 अप्रैल 2०1० से पूर्व तक की रही है इसका उल्लेख ऊपर किया गया है। शिक्षा की पोलिसी को लेकर अनुच्छेद 21ए संविधान में नया अनुच्छेद perce yJeospeHepevepeHeJeo c;Henerpeue.wHeie ~GceokeâGceopeæe ाज २0०2 से जोड़ा गया और इसे दिनांक ०1.०4.२०1० से लागू किया गया। इस अनुच्छेद 21ए के द्वारा छः से चौदह वर्ष की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिये उपबन्ध किया है। इसी प्रकार अनुच्छेद 45 में संविधान (46वां संशोधन) अधिनियम, 20०2 की धारा 3 द्वारा इसे दिनांक ०1.०4.2०1० से प्रतिस्थापित (लागू) किया। संशोधित अनुच्छेद में शैशव पूर्व देखभाल तथा सभी बालकों के लिये उनके छः वर्ष की आयु पूरी कर लेने तक शिक्षा के लिये उपबन्ध किया है। यहां एक और अधिनियम जिसका शीर्षक है JHenerpe Jeef yerHemekeâleceo peJe Lilecece bokeâ yJcGÜevemerseJeleue ckeâveyebpeHeJeJo ाजए 2००9 (meb#esHe cesb lpc ~yepe) लाया गया और इसे भी दिनांक ०1.०4.२०1० से प्रतिस्थापित (लागू) किया गया। यह अनुच्छेद 21ए पर लागू है। इस आरटीई एक्ट में यह भी व्यवस्था है कि 25 प्रतिशत meerŠ Ülece.ÜleHeGbleue में प्राइवेट स्कूल में c@Ww आदि के लिये पहली क्लास में आरक्षित की जावेगी। फण्ड की व्यवस्था का उत्तरदायित्व राज्य सरकार पर रहेगा।

उक्त प्रकार कानून लाने व संविधान में संशोधन से 14 वर्ष तक के बालकों को जो अधिकार 1० वर्षों तक के हेतु थे उन पर विपरीत अगर हुआ छः वर्ष तक के बालकों को जो शिक्षा का अधिकार था, वह छीन लिया गया यानी समाप्त कर दिया। उसे राज्य की सरकारों की दया पर छोड़ दिया गया। त्म एक्ट आने से पूर्व प्राइवेट स्कूलों में Ülece.ÜleHeGbleue शिक्षा छः वर्ष तक के बच्चों को दी जाती थी। सरकार के पास अर्थ के अभाव की बात की जाती है और कारण कुछ भी हो सरकारी स्कूलों की व्यवस्था नहीं है

इस लेख का यह उद्देश्य नहीं है, आंदोलन में पक्ष व विपक्ष में कौन दोषी हैं कौन सच्चा व कौन झूठा है। लेखक केवल यह कहने का प्रयत्न कर रहा है कि देश में कोई भी सरकार रही हो, सभी ने संविधान की अवज्ञा की है।

जहां छः से कम और 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों को शिक्षा दी जा सके। इससे बड़ा देश का क्या दुर्भाग्य है? यह सरकार की संविधान की खुली अवज्ञा है।

बिहार की आगामी चुनावों को लेकर WHI पर पर देश की संसद, देश की सड़कों और चुनाव आयोग के कार्यालय तक आंदोलन विपक्ष कांग्रेस के नेतृत्व में हंगामे के रूप मे कर रहा है और संसद के प्रति अपने दायित्व को नहीं निभा रहा है। संसद के कार्यों में बाधा डालना और सत्ता पक्ष को सांसदीय कार्यों को अन्जाम देने के कार्यों में रूकावट पैदा करना, किसी भी प्रकार उचित नहीं कहा जा सकता। अर्थात् विपक्ष के इस कृत्य को संविधान की अवज्ञा ही कहा जावेगा। संविधान के अनुच्छेद 326 में यह स्पष्ट किया गया है, विधानसभा व लोकसभा के चुनावों में प्रत्येक व्यक्ति को जो भारत का नागरिक है और जो कम से कम 18 वर्ष की आयु का है वही व्यक्ति चुनाव में मतदान का अधिकारी है और यह व्यक्ति होगा जिसने किसी निर्वाचन के मतदाता के रूप में रजिस्ट्रीकृत होने का अधिकार प्राप्त किया है। चुनाव आयोग को संविधान के अनुच्छेद 324 में विशिष्ट संविधानिक दायित्व दिया है और वह दायित्व है चुनावों के लिये नामावली तैयार करना, यह व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 327 व 328 में की गई है। बिहार में ए के दौरान 65 लाख 4०,०00 तथाकथित मतदाताओं के नाम काटे गये हैं, जिनमें मृतक व वे व्यक्ति हैं जो अपना निवास छोड़ चुके हैं तथा वे लोग भी हैं जो यह प्रमाणित नहीं कर सके हैं कि वे इस देश के नागरिक हैं, क्योंकि वे बांग्लादेश या म्यांमार के लोग हैं जो भारत में अकेध रूप से घुसकर रह रहे हैं। ऐसे लोगों को 3० दिन का समय प्रतिवेदन देने का दिया है, जहां वे अब भी कानूनी प्रमाण पेश कर साबित कर सकते हैं कि वे इस महान देश के नागरिक हैं और इस नाते उन्हें मतदान का अधिकार है।

जैसा ऊपर कहा हैं ए के की वैधता की प्रश्न सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। यही विवाद राज्य सभा व संसद में भी गुंज रहा है। संसद से निकलर इंडिया ब्लॉक का ‘वोट चोरी’ विरोध सड़कों पर आ चुका है।

इस लेख का यह उद्देश्य नहीं है, आंदोलन में पक्ष व विपक्ष में कौन दोषी है कौन सच्चा व कौन झूठा है। लेखक केवल यह कहने का प्रयत्न कर रहा है कि देश में कोई भी सरकार रही हो, सभी ने संविधान की अवज्ञा की है। चाहे वह मामला शिक्षा हो हो अथवा वोटर्स लिस्ट बनाने का हो अथवा लोकसभा व राज्यों की विधान सभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण का रहा हो। संविधान के अनुच्छेद 334 में आरक्षण 1० वर्ष का था जो समय की अवधि के बाद स्वतः ही समाप्त होने वाला था; किन्तु वह 1० वर्ष की अवधि के बाद भी सरकार द्वारा जारी रखा गया और अनुच्छेद 334 में 23वां संविधान संशोधन 1969 में उसे 20 वर्ष किया और प्रत्येक 1० वर्ष बाद संशोधन किया जा रहा है। यह सर्वथा असंवैधानिक है; किन्तु संविधान की अवज्ञा इसी प्रकार प्रत्येक सरकार जो सत्ता में रही करती आ रही है।

यहाँ øeMVe wHI का है। राहुल गांधी जो लोकसभा में विपक्ष के नेता है, उनका कहना है कि यह लड़ाई राजनीतिक नहीं है अपितु वोट चोरी की सच्चाई देश की जनता के सामने रखने की है। यह लड़ाई संविधान बचाने की है। यह लड़ाई ‘एक व्यक्ति एक वोट’ की लड़ाई है। यह नारा स्वयं ही संविधान की अवज्ञा का प्रोत्तक है। दिनांक 12.०8.2025 की बहस में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कहा कि उर्दे ए के अधिकार हैं वह संविधान व आर पी अधिनियम 195० कानून के अनुसार कार्य कर रहा है। चुनाव आयोग ने कहा कि वोट देने के अधिकारी वोटर्स को मत देने से नहीं रोका जा रहा है और जिनके नाम काटे गये हैं उन्हें प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का और मतदाता बनने का अधिकारी होने के बावत यथोचित शहादत पेश करने का व सुनवाई का अवसर दिया जावेगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट की खण्डपीठ जिसके जस्टिस सूर्यकांत व जस्टिस जॉय मॉल्या बागची न्यायाधीश हैं सुनवाई कर रहे हैं। बहस अभी (14.०8.2025 तक) चल रही थी। इसका निर्णय शीघ्र होने की संभावना है। लेखक को केसेज के गुण दोषों पर कुछ नहीं कहना। इस लेख का अभिप्राय है कि जनता को यह स्पष्ट किया जावे कि सत्ता में बैठे सभी राजनीतिक पार्टियों ने संविधान की अवज्ञा की है। शिक्षा, विधान सभा की सीटों का भाषा के, चुनाव संबंधित प्रावधानों की अवज्ञा की है। विपक्ष संविधान की जो पुस्तक लेकर ‘संविधान बचाओ’ आन्दोलन की बात कर रहा है वह पुस्तक सम्भवतः 2–3 वर्षों पूर्व तक उहें संशोधनों के अपने में अंगीकृत किये हुये है। पुस्तक उस संविधान को प्रस्तुत नहीं करता जो दिनापंक ०1.०4.2०1० से पूर्व था अप्रैल 26.०1.196० के पूर्व में था जो 23.०1.197० से पूर्व था। अनुच्छेद 334 स्थानों के आरक्षण और विशेष प्रतिनिधत्व का कतिपय अवधि के पश्चात् नकहने से सम्बन्धित है यानी ÜleJeDeHesHeJeJo serbmeme yeebcsece peJe erbDece bo ceefefceyeyepe Jeo peerce cieÜeHeHebpeHeJeJo JeeF b ÜeceleHeJKeâ JeeF... uecebles प्रारम्भ में यह 1० वर्ष था अब इसे अवधि को 8० लक्ष कर दिया गया है।

यानी प्रारम्भिक अवधि को प्रत्येक 1० वर्ष बढ़ा दिया जाता है। संविधान की अवज्ञा का इससे बढ़कर कोई प्रमाण नहीं मिल सकता। इसने हजारों लोगों को चुनाव में खड़े होने से रोका है। इसी प्रकार अनुच्छेद 45 की 1० वर्ष की अवधि में 14 वर्ष के बालकों को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा न देकर सरकार ने संविधान की अवज्ञा ही नहीं की है अपितु पाप किया है इसके फलस्वरूप आजादी के 75 वर्षों के बाद भी हमें पढ़े लिखे व सही समझ वाले सही सांसद, विधायक व पंच, सरपंच नहीं चुन पाये है। संविधान कहता है हिन्दी राजभाषा (राष्ट्रभाषा) होगी और संविधान लागू होने के 15 वर्ष पश्चात् हिन्दी राजभाषा होकर संसद की भाषा हुई है। आप स्वयं अनुच्छेद 12० को पढ़कर यह अर्थ निकाल सकते हैं। आइये मिलकर हम देश के लोग यह घोषणा करें कि हम संविधान का पालन करेंगे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करेंगे। सबको समन्वित दे भगवान !

–अतिथि सम्पादक
पानाचन्द जैन,
पूर्व न्यायाधीश, रासस्थान हाई कोर्ट

संपादकीय

जयपुर मंडल रेल प्रबंधक ने फुलेरा जंक्शन पर निर्माणाधीन कार्य का निरीक्षण किया

फुलेरा, (निसं)। जयपुर मंडल रेल प्रबंधक रवि जैन गुरुवार को मंडल स्तरीय रेल अधिकारियों के साथ विशेष निरीक्षण रेलयान गाड़ी से फुलेरा पहुंचे, जहां फुलेरा के रेल अधिकारी डीएमई रोहित मीना, एडीईएन श्याम सुंदर गर्ग, स्टेशन अधीक्षक सतीश कुमार ने पहली बार फुलेरा आगमन पर डीआरएम रवि जैन को बुके देकर स्वागत सत्कार करते हुए अगुवाई की। डीआरएम रवि जैन ने फुलेरा के रेल अधिकारियों से रूबरू होते हुए चार नंबर प्लेटफार्म के रेलवे ओवरब्रिज पर पहुंचकर रेलवे यार्ड का निरीक्षण करते हुए स्थानीय रेल अधिकारियों से फीडबैक लेते हुए ए उन्हें उचित कार्रवाई के दिशा निर्देश दिए।

डीआरएम ने प्लेटफार्म नंबर 3 का निरीक्षण के दौरान स्टेशन टीन सेड, पानी निकास नालियों तथा आरपीएफ थाने का तथा स्टेशन का

निरीक्षण करते हुए मिली कमियों के बारे में संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर फुलेरा जैन समाज के पूर्व अध्यक्ष सुबोध छाबड़ा के नेतृत्व में विमल काला, महेश रावका, राकेश जैन सहित अन्य लोगों ने डीआरएम जैन का माला व साफा बंधवाकर स्वागत किया। इसके बाद डीआरएम ने सेंट्रल लांबी का निरीक्षण किया तथा प्लेटफार्म नंबर दो के निरीक्षण के बाद अमृत भारत योजना के तहत चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया जहां उचित दिशा निर्देश देने के बाद रेलवे रनिंग रूम का निरीक्षण करने के बाद जलपान ग्रहण किया और अपने गंतव्य के लिए रेल निरीक्षण यान से अपने लवाजमें के साथ रवाना हुए। इस अवसर पर एडीआरएम संजीव दीक्षित, सीनियर डीसीएम पूजा मित्तल, सीनियर डीपीओ सत्येंद्र



जयपुर मंडल रेल प्रबंधक रवि जैन का फुलेरा में रेल अधिकारियों ने स्वागत किया।

यादव, वरिष्ठ मंडल ईई विजयसिंह चौधरी, वरिष्ठ मंडल यांत्रिक	अभियंता (सीएंडइब्ल्यू) प्रमोद रावत, फुलेरा स्टेशन मास्टर सतीश कुमार	सहित अन्य स्थानीय रेल अधिकारी मौजूद रहे।
---	---	--

जन्माष्टमी पर्व को सार्थक करने के लिये भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों को आत्मसात करें



डॉ. जे. के. गर्ग

भगवान कृष्ण की उपासना के पर्व जन्माष्टमी पर हमारी पूजा अर्चना तभी सार्थक होगी जब हम भगवान के उपदेशों को आत्मसात करने का संकल्प लें और उनके बताए रास्ते पर चलें। कृष्णमय हो कर उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारीं। सनातन धर्म के अनुयायीयों के मतानुसार जब जब इस धरा पर राक्षसों और दूर शशकों के जुलूम और अत्याचार चरम सीमा तक बढ़ जाते हैं और जब सत्य पर असत्य, विनम्रता पर अहंकार, नैतिकता परअनैतिकता, सहिष्णुता पर असहिष्णुता, न्याय पर अन्याय और धर्म पर अधर्म हावी हो जाता है, तब जगत के पालनहार भगवान विष्णु खुद

गया गया, जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे, जो तुमने खो दिया? तुमने क्या लाये हो जो नष्ट हो गया है? ना तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यहीं से लिया। जो दिया, यहीं पर दिया। जो लिया, भगवान से लिया। जो दिया भगवान को दिया। इसान खाली हाथ आया और खाली हाथ जायेगा। जो आज तुम्हारा है, कल किसी का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझ कर मग्न हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुर्बो का मूल कारण है। विश्वास रखों परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो, वही तो जीवन है। यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहे को जनता है वह भय, चिन्ता, शोक से सर्वदा मुक्त है। जो कुछ भी तुम करते हो उसे, भगवान को अर्पण कर दो। ऐसा करने से तुमको सदा का आनंद अनुभव होगा।

इस जन्माष्टमी भगवान की उपासना करते हुये उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारीं। कर्तव्य परायणता की यही शिक्षा श्रीकृष्ण ने कुरुक्षेत्र की रणभूमि में गीता के माध्यम से अर्जुन को दी थी, जो युद्ध भूमी में अपने स्वजनों की संभावित मृत्यु के भय से दुखी होकर अपने क्षत्रिय धर्म एवं कर्तव्य से मुहं मोड़ कर युद्ध नहीं

करना चाह रहे थे। भगवान ने बतलाया कि एक क्षण में तुम करोड़ो के स्वामी बन जाते हो, दूसरे ही क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा –तेरा, छोटा–बड़ा, अपना–पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके हो। यह शरीर अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से बना है और इसमें ही मैं मिल जाएगा। परन्तु आत्मा स्थिर है अविनाशी है तुम नाशवान शरीर नहीं हो तुम तो अविनाशी आत्मा हो तुम अपने आपको भगवान को अर्पित करो। निसंदेह गोवर्धन कान्हा के सम्पूर्ण जीवन काल में कर्म की ही प्रधानता रही थी। भगवान कृष्ण ने हमें बताया कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात् पुनर्जन्म भी निश्चित है प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को असत्य, विनम्रता पर अहंकार, नैतिकता परअनैतिकता, सहिष्णुता पर असहिष्णुता, न्याय पर अन्याय और भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता के माध्यम से मानव जीवन के गूढ़ रहस्यों सरल भाषा में समझाते हुवेनिक्राम भाव से सात्विक कर्म करके उन्हेंपरमात्मा को समर्पित करने कहा था। कृष्ण ने केवल उपदेश ही नहीं दिए ,उन्होंने उनको साकार कर भी दिखाया। जैसे गीता के रूप में उनकी वाणी अनुकरणीय है वेसे ही उनका जीवन भी।

याद रखें कि जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया, मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। मनुष्य जो चाहे बन सकता है, अगर वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करें तो जो मनुष्य अपने अपने कर्तव्य का पालन करता है, वह असली योगी है। जो पुरुष न तो कर्मफल की इच्छा करता है, और न कर्मों से घृणा करता है, वह मनुष्य ही वास्तव के अंदर संन्यासी है। जीवन न तो भविष्य में है ना अता जो विद्वान् होते हैं, वो न तो जीवन के लिए और न ही मृतक के लिए शोक करते हैं। हे अर्जुन ! परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है। भगवद गीता के अनुसार नरक के तीन द्वार होते हैं, वासना, क्रोध और लालच। मनुष्य को इन तीनों से बचना चाहिए।

कर्मकाण्ड पूजा अर्चना का अपना महत्व है। किंतु अपार साधारण आदमी कृष्णमय बन कर भगवान के उपदेशों को मूर्त रूप देने की आत्मशक्ति प्राप्त कर ले तो सच्चाई में यही भगवान की सच्ची उपासना होगी।

— डॉ. जे. के. गर्ग
पूर्व संयुक्त निदेशक कॉलेज शिक्षा जयपुर

वीर दुर्गादास जयंती पर प्रतिभाओं का सम्मान किया

मदनगंज-किशनगढ़, (निसं)। राजपूत सभा समिति की ओर से जगतगुरु निंबाकाचार्य पीठाधीश्वर श्यामशरण देवाचार्य श्रीजी महाराज के सानिध्य में वीर दुर्गादास राठौड़ की जयंती श्रद्धापूर्वक मनाई गई।

श्रीभाग्य आयुक्त शक्ति सिंह राठौड़, बानसूर विधायक देवीसिंह शेखावत, राज्य खेल परिषद सचिव राजेन्द्र सिंह सिसोदिया, नगर परिषद सभापति दिनेश सिंह राठौड़, उपखण्ड उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ कुलदीप सिंह शेखावत, उपखंड अधिकारी मसूदा दीपशिखा कालवी, पार्षद अजमेर देवेंद्र सिंह शेखावत अतिथि के रूप में मौजूद रहे। श्रीजी महाराज ने कहा कि वीर दुर्गादास राठौड़ स्वाभिमान भक्ति, राष्ट्र भक्ति के साथ भागवत भक्ति के लिए भी जाने जाते है। उन्होंने वीर दुर्गादास को भारत भूतिक के आदर्श की उपाधि दी।

संभागीय आयुक्त शक्तिसिंह राठौड़ ने कहा कि वीर दुर्गादास राठौड़ जैसा योद्धा विश्व के इतिहास में नहीं हुआ। विधायक देवीसिंह शेखावत ने कहा कि सदियां बीत जाने



समारोह में शिक्षा, खेल व राजकीय सेवाओं में उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त करने वाली सौ से अधिक प्रतिभाओं को प्रशस्ति पत्र व मेडल देकर सम्मानित किया।

के बाद वीर दुर्गादास जैसा महापुरुष पैदा होता है। सचिव राजेंद्र सिंह सिसोदिया, मसूदा उपखंड अधिकारी दीपशिखा कालवी, सभापति दिनेश सिंह, अजमेर पार्षद देवेंद्र सिंह ने वीर

दुर्गादास के जीवन चरित्र से सीख लेकर अपने जीवन में उतारने से आह्वान किया।

खुखाराज परिवार के यदुनाथ सैन, ओजस्वी वक्ता श्यामसुंदर

मेघ
अपनी कार्य योजना को सीमित रखें।
पारिवारिक परेशानियों के कारण भागदौड़ रहेगी।
परिवार में स्वास्थ्य संबंधित समस्या हो सकती है।
दिन के मध्यान्ह पश्चात अटक हुए कार्य बनने लगेंगे।

वृष
व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा।
व्यावसायिक कार्य योजना का क्रियान्वयन हो सकता है।
व्यावसायिक आय में वृद्धि हो सकती है।
दिन के मध्यान्ह पश्चात अष्टम चंद्र शुभ नहीं है।

मिथुन
स्वास्थ्य संबंधित चिन्ता दूर होगी।
दिनचर्या में सुधार होगा।
मानसिक तनाव से राहत मिलेगी।
व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी।
परिवार में धार्मिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

कर्क
व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी।
व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा।
आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखना ठीक रहेगा।

सिंह
घर–गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है।
पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी।
मन में असंतोष बना रहेगा।
स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

कन्या
आर्थिक मामलों में परिचितों से सहयोग मिल सकता है।
आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा।
व्यावसायिक संपर्क बनेंगे।

तुला
आर्थिक कारणों से अटक हुए व्यावसायिक कार्य बनने लगेंगे।
संभावित खोत से धन प्राप्त होगा।
व्यावसायिक कार्यों से संबंधित व्याज सफल रहेगी।

वृश्चिक
व्यावसायिक कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होगा।
अटके हुए कार्य बनने लगेंगे।
आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

धनु
घर–गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है।
पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी।
मन में असंतोष बना रहेगा।
दिन के मध्यान्ह पश्चात मानसिक तनाव से राहत मिलेगी।

मकर
आर्थिक/वित्तीय मामलों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें।
आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
आय में वृद्धि होगी।
व्यावसायिक विवादों से राहत मिल सकती है।

कुंभ
व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी।
अटके हुए कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे।
नवीन कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा।
घर–परिवार में सुख–शांति बनी रहेगी।

मीन
नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होगा।
अटके हुए कार्य बनने लगेंगे।
व्यावसायिक संपर्क बनेंगे।
परिवार में शुभ–मार्गात्मिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।